जीसीएमएस नं. 2022/132

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 18A/2022

1. किरण कौर पत्नी श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख, निवासी गली नंबर 4, भांभू कॉलोनी, श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. परमजीत कौर पत्नी दर्शन सिंह, जाति जटसिख, निवासी गुरूनानक बस्ती, श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध आदेश उपतहसीलदार श्रीगंगानगर ईंतकाल संख्या 676 दिनांक 06.10.2021 आदेश दिनांक 27.10.2021 जिसकी रूह से एकपक्षीय, विधि विरूद्ध एवं विधि के अज्ञापक प्रावधानों के विपरित पारित किया गया–मन्सुखी बाबत्।

उपस्थित :
1. श्री मोहनलाल माहर, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री सुरेश अरोड़ा, अधिवक्ता, रेस्पो0

दिनांक: 26.05.2026

:: **आदेश**::

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि

1. अपीलाधीन आदेश एकपक्षी रूप से, प्राकृतिक न्यायों के सिद्धांतों के विपरित एवं विधि के अज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन होने से निरस्ती योग्य है।
2. अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित पारित किया गया है। प्रश्नगत कृषि भूमि के खातेदार दर्शन सिंह की मृत्युपरांत किसी भी प्रकार की कोई जांच बाबत् वारिसान नहीं की गई केवल रेस्पोडेंट के तथाकथित वारिसानों को आधार बनाकर किया गया है, जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 मिलीभगत से साठगांठ कर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया गया है, जो कि निरस्ती योग्य है।
3. प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालय में खातेदारी घोषणा तथा विभाजन का वाद जैरकार है तथा जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की गई थी जिसका अभिलेख में आज भी इन्द्राज उल्लेखित है इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने राजस्व अभिलेख की उल्लंघना कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जोकि निरस्ती योग्य है।
4. यद्यापि रेस्पोडेंट संख्या 1 मृतक दर्शन सिंह की प्रथम पत्नी है किन्तु कोई नरीना अथवा मदीना औलाद नहीं होने के कारण रेस्पोडेंट संख्या 1 की सहमति से द्वितीय

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आनन्द कारज अपीलार्थीया से किया था और दोनों पति–पत्नी के तौर पर एक साथ रह रहे थे, किंतु अपीलार्थीया के भी कोई संतान नहीं हुई।

5. मृतक खातेदार दर्शन सिंह ने अपने वंशज को बढ़ाने के लिए ही द्वितीय विवाह किया था। अपीलार्थीया बतौर पति–पत्नी साथ रहे जिसकी पुष्टि स्वयं दर्शन सिंह ने अपने जीवनकाल में समस्त चल अचल संपत्ति को दोनो पत्नियों को हिस्सा बराबर–बराबर बांट कर दे दी थी। इसके बावजूद समस्त तथ्यों को छुपाते हुए रेस्पोडेंट ने जो नामांतरणकरण तस्दीक करवाया है वह निरस्ती योग्य है।

6. विचारण न्यायालय ने ईन्तकाल स्वीकृति से पूर्व विधि के आज्ञापक प्रावधानों की कतई पालना नहीं की। विचारण न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई सूचना पत्र, जारी नहीं किया बल्कि हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 06.10.2021 को ईंतकाल भरा और दिनांक 06.10.2021 को ही गिरदावर द्वारा केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट की पुष्टि की गई और दिनांक 27.10.2021 को राजस्व अभिलेख में स्वीकृत फरमा दिया जबकि विचारण न्यायालय को यह परम दायित्व था कि वह वारिसान की मौके के कब्जा की जांच करवाते तत्पश्चात् नामांतरण स्वीकृत करते।

7. नामांतरण एक संक्षिप्त राजकोषीय कार्यवाही है जिससे किसी प्रकार के पक्षों के हक का विनिश्चय नहीं होता है जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा किसी पक्षकार के विधिवत् रूप से खातेदार घोषित नहीं कर देती। इस हेतु अपीलार्थीया का वाद अपील की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में जैरकार है।

8. अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से कानूनी प्रावधानों के विपरित पारित किया गया है। अपीलार्थीया ने जब अपने हिस्से की कृषि भूमि को अप्रेल 2022 में ठेके पर देने की कार्यवाही की तो ठेकेदार ने लेने हेतु दिनांक 20.02.2022 को संपर्क किया तो प्रमाणित प्रतिलिपि देने में आनाकानी की और राजस्व कैम्प का बहाना बनाया, अंततः 18.05.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपि दी। अपीलार्थीया एक विधवाजात औरत है जिसके पास अब आय का कोई स्त्रोत नहीं है। समस्त अन्य दस्तावेजों को इक्कठा कर आज यह अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत की जा रही है। इस हेतु धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

अन्य तथ्य बरवक्त बहस अर्ज किए जाएंगे। अपील श्रीमान जी के सुनवाई योग्य, क्षेत्राधिकार एवं उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलार्थीया प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश इंतकाल संख्या 676 दिनांक 06.10.2021 और दिनांक 27.10.2021 को निरस्त फरमाया जावे तो जनाब की मेहरबानी होगी।

अपील पेश होने पर दर्ज की गई। रेस्पोडेंट्स को तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालय में खातेदारी घोषणा तथा विभाजन का वाद जैरकार है तथा जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की गई थी जिसका अभिलेख में आज भी इन्द्राज उल्लेखित है इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने राजस्व अभिलेख की उल्लंघना कर अपीलाधीन आदेश

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पारित किया गया है। यद्यपि रेस्पोडेंट संख्या 1 मृतक दर्शन सिंह की प्रथम पत्नी है किन्तु कोई नरीना अथवा मदीना औलाद नहीं होने के कारण रेस्पोडेंट संख्या 1 की सहमति से द्वितीय आनन्द कारज अपीलार्थीया से किया था और दोनों पति–पत्नी के तौर पर एक साथ रह रहे थे, किंतु अपीलार्थीया के भी कोई संतान नहीं हुई। मृतक खातेदार दर्शन सिंह ने अपने वंशज को बढाने के लिए ही द्वितीय विवाह किया था। अपीलार्थीया बतौर पति–पत्नी साथ रहे जिसकी पुष्टि स्वयं दर्शन सिंह ने अपने जीवनकाल में समस्त चल अचल संपत्ति को दोनो पत्नियों को हिस्सा बराबर–बराबर बांट कर दे दी थी। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से कानूनी प्रावधानों के विपरित पारित किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। इस प्रकार बहस अर्ज कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का इंतकाल संख्या 676 दिनांक 06.10.2021 और दिनांक 27.10.2021 को निरस्त फरमाया जाने आदेश फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करते समय किसी भी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं की है। अपीलार्थीया ने अपनी अपील के बिंदू संख्या 4 और 5 में यह तथ्य स्वीकार किया है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 मृतक दर्शन सिंह की प्रथम पत्नी है एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 की सहमति से द्वितीय आन्नद कारज अपीलार्थीया ने किया था। मृतक खातेदार दर्शन सिंह ने अपने बंशज को बढ़ाने के लिए ही द्वितीय विवाह किया था। रेस्पोडेंट संख्या 1 परमजीत कौर, मृतक दर्शन सिंह की विवाहित पत्नी है और रेस्पोडेंट संख्या 1 के पति दर्शनसिंह ने किसी अन्य से कोई विवाह नहीं किया था और रेस्पोडेंट संख्या 1 परमजीत कौर द्वारा अपने पति दर्शन सिंह को जीवनकाल में उसे दूसरी शादी करने की कोई सहमति नहीं दी गई थी। अपीलार्थीया द्वारा बिना किसी आधार पर केवल मात्र वादग्रस्त भूमि में से 1/2 हिस्सा हड़पने के लिए अपील प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि हिंदु विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई हिन्दु(सिख) पति पत्नी एक दूसरे के जीवनकाल में बिना विवाह विच्छेद करवाये दूसरा विवाह नहीं कर सकते। इस प्रकार हिन्दु विवाह अधिनियम के प्रावधान मृतक दर्शन सिंह व रेस्पोडेंट संख्या 1 परमजीत कौर के जीवित रहते एवं विवाह अस्तित्व में रहते हुए दूसरा विवाह करने की आज्ञा प्रदान नहीं करते हैं। इस प्रकार केवल मात्र अपीलार्थीया के कथन करने मात्र से दर्शन सिंह की पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्यायों के सिद्धांतों एवं विधि के अज्ञापक प्रावधानों के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अनुचित होगा। अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त फरमायी जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने निम्नलिखित नजीरे पेश की हैं:–

1- AIR 1988 Supreme Court 644, Ranganath Mishra and Lalit Mohan Sharma JJ., Criminal Appeal No. 475 of 1983, D/-27-1-1988

2- न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर, अपील संख्या 101/2021 किरण कौर बनाम परमजीत कौर व स्टेट निर्णय दिनांक 24.03.2025

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अपीलार्थीया द्वारा अपील उपतहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा दर्ज ईंतकाल संख्या 676 दिनांक 06.10.2021 स्वीकृति दिनांक 27.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलार्थीया द्वारा अपनी अपील में यह तथ्य सुस्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि रेस्पोडेंट संख्या–1 परमजीत कौर मृतक दर्शन सिंह की प्रथम पत्नी है एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 की सहमति से द्वितीय आन्नद कारज अपीलार्थीया ने किया था। अपीलार्थीया ने द्वितीय पत्नी होना स्वीकार किया है परंतु हिंदु विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई हिन्दु पति–पत्नी एक दूसरे के जीवनकाल में बिना विवाह विच्छेद करवाये दूसरा विवाह नहीं कर सकते। इस प्रकार हिन्दु विवाह अधिनियम के अधीन मृतक दर्शन सिंह व रेस्पोडेंट संख्या 1 परमजीत कौर के जीवित रहते एवं विवाह अस्तित्व में रहते हुए दूसरा विवाह किया जाना हिन्दू विवाह प्रावधानों के विपरीत है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा दर्ज इन्तकाल संख्या 676 दिनांक 06.10.2021 स्वीकृति दिनांक 27.10.2021 प्राकृतिक न्यायों के सिद्धांतों एवं विधि के अज्ञापक प्रावधानों के अधीन पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नहीं होता है। फलस्वरूप, अपील अपीलांटा खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय रेकार्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पत्रावली फैंसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें।

आदेश आज दिनांक 26.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशा0), श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner